Title: Need to issue Scheduled Caste Certificates to the children of certain eligible castes in Uttar Pradesh.

**श्री राकेश सचान (फतेहपुर):** माननीय सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर सवाल उठाने का अवसर दिया। मैं आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि भारत के संविधान में उल्लिखित जातियों के क्रम में भारत सरकार द्वारा पारित अनुसूचित जाति एवं जनजातियों का संशोधन अधिनियम वर्ष 1976 में यहां पास हुआ था। उत्तर प्रदेश में 27.07.1997 को यह कानून प्रभावी हो गया, जिसमें यहां पर चार जातियों -- मंझवार, गौड़, बेलदार और तुरैयहा को अनुसूचित जाति में जोड़ा गया था। मंझवार का स्पष्ट पर्यायवाची शब्द में लिखा हुआ है कि मांझी, मल्लाह, केवट, राजगौड़ और मुजबिर जातियों के सदस्यों को अनूसूचित जाति में शामिल किया गया था। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा जनपद में इन जातियों के लोगों को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है। प्रमाण पत्र न मिलने के कारण इन बच्चों को न तो आरक्षण का लाभ मिल पा रहा है, न ही छात्रवृत्ति मिल पा रही है। यह बहुत ही गंभीर विषय है। इसके बारे में गजट भी है। जब भारत सरकार ने कानून बना दिया है, तब भी उत्तर प्रदेश की सरकार, जो बेलगाम सरकार... * की है, के अधिकारियों द्वारा किसी को प्रमाण पत्र नहीं जारी किया जा रहा है।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : The name should be deleted.

...(*Interruptions*)

**श्री राकेश सचान :** यह बहुत गंभीर विषय है। यहां माननीय नारायणसामी जी बैठे हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इसको गंभीरता लें।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

*(Interruptions) â€¦ **

**श्री राकेश सचान :** मुझे सिर्फ एक मिनट समय दे दीजिए। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: This is not a debate.

...(*Interruptions*)